विशेष लोक अदालत दिनांक 18.07.2026
खण्डपीठ कमांक 03

18.07.2026 प्रकरण लोक अदालत में मेरे समक्ष पेश।

परिवादी सहित/द्वारा **श्रीमती वैष्णवी यादव** अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त/अनिर्वाहित।

प्रकरण पंजीयन तर्क हेतु नियत है।

प्रकरण में इसी स्तर पर परिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 दं.प्र.सं/280 भा.ना.सु.सं. का प्रस्तुत किया गया।

इस आदेश द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 257 दं.प्र.सं/280 भा.ना.सु.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि उभयपक्ष के मध्य न्यायालय के बाहर समझौता हो जाने के कारण परिवादी सदर प्रकरण आरोपी के विरूद्ध नहीं चलाना चाहता है तथा परिवाद वापस लेना चाहता है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त आवेदन पर सुना गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध **धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया है जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय अपराध है। परिवादी/ अधिवक्ता ने प्रकरण को वापस लिए जाने बावत् उक्त आवेदन स्वेच्छया देना व्यक्त करते हुए वह अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण अब और आगे नहीं चलाना चाहता है।

प्रकरण प्रारंभिक स्तर पर होकर पंजीयन तर्क हेतु नियत है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में परिवादी पर समन शुल्क अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवादी पर किसी प्रकार का समन शुल्क अधिरोपित नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन धारा 257 दं.प्र.सं/280 भा.ना.सु.सं. **स्वीकार** किया जाता है। चूंकि परिवाद में अभी संज्ञान नहीं लिया गया है। इसी प्रक्रम पर परिवादी ने परिवाद वापस लेने की वांछा की है, अतएव आवेदन स्वीकार करते हुए परिवाद खारिज किया जाता है।

प्रकरण का निराकरण विशेष लोक अदालत में होने से परिवादी द्वारा प्रदत्त न्यायालय शुल्क विधि अनुसार वापस करने के संबंध में प्रमाणपत्र जारी हो।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज कर प्रकरण विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(प्रतीक्षा रघुवंशी)
सुलहकर्ता सदस्य

(कीर्ति दुबे)
पीठासीन अधिकारी
विशेष लोक अदालत
खण्डपीठ कमांक–03
इंदौर म.प्र.